



# कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

क्रमांक :- एफ-6 ( ) आ.राज. (सा.प्र.)/ननिज/2015/394 दिनांक:- 21/1/2015

## सीलबन्द निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम जयपुर अपनी सीमा क्षेत्र में चौराहे/तिराहे पर निर्मित पुलिस छतरियां (यातायात संचालन हेतु) एवं पुलिस गुमटियों का रख-रखाव करते हुये 50 प्रतिशत हिस्से पर विज्ञापन हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए जोन वाइज सीलबंद निविदाये आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र विक्रय की दिनांक : 16.02.2015 से 23.02.2015 तक (कार्यालय समय में)

सीलबंद निविदा प्राप्ति की तिथि : 24.02.2015 दोपहर 1.00 बजे तक

निविदा खोलने की तिथि व स्थान : 24.02.2015 दोपहर 3.00 बजे,

आयुक्त (राजस्व) नगर निगम जयपुर के कमरा नं. 106 में।

इच्छुक निविदादाता अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से 1000/- रुपये नकद/डी.डी./बैंकर चैक जमा कराकर निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकता है।

नोट :-

1. अमानता राशि जोनवार- सिविल लाईन जोन हेतु रु. 2 लाख, विद्याधर नगर जोन हेतु रु. 1.5 लाख, सागानेर जोन हेतु रु. 1 लाख, मानसरोवर जोन हेतु रु. 2 लाख, हवामहल पूर्व जोन हेतु रु. 2 लाख, मोती डूंगरी जोन हेतु रु. 5 लाख, आमेर जोन हेतु 75000 रु. एवं हवामहल पश्चिम जोन हेतु 75000/- रु. का नगर निगम जयपुर के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
2. निविदा की शर्तों का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. निविदा खोलने की तिथि को कोई राजकीय अवकाश घोषित होता है, तो आगामी कार्य दिवस को निविदा खोली जायेगी।
4. विज्ञापन शुल्क वसूली की दरें व शर्तें नगर निगम जयपुर की वेबसाइट [www.jaipur.mc.org](http://www.jaipur.mc.org) एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध रहेगी तथा राजस्व अधिकारी (होर्डिंग) निगम मुख्यालय प्रथम तल, नई बिल्डिंग, कमरा नम्बर SW-205 में कार्यदिवस समय में देखी जा सकती है एवं सूचना पट्ट निगम मुख्यालय पर भी देखी जा सकती है। निविदा में उल्लेखित शर्तों की अक्षरतः पालना सुनिश्चित करनी होगी।

आयुक्त (राजस्व)  
नगर निगम जयपुर

प्रतिलिपि :-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निविदा सूचना को प्रमुख अंग्रेजी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।
2. प्रोग्रामर ओसवाल डाटा, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निविदा सूचना को नगर निगम की वेबसाईट पर प्रदर्शित करावे।

आयुक्त (राजस्व)  
नगर निगम जयपुर




# कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

## पुलिस छतरियों एवं गुमटियों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की निविदा की शर्तें : फरवरी 2015

1. निगम क्षेत्र में निर्मित पुलिस छतरियों एवं गुमटियों पर विज्ञापन प्रदर्श एवं संधारण हेतु दरे जोन वाईज एक वर्ष के लिए दी जावेगी जो लाईसेंस जारी किये जाने की दिनांक से मानी जावेगी। पुलिस छतरियों एवं पुलिस गुमटियों की सूची निगम वेबसाईट: [www.jaipur.mc.org](http://www.jaipur.mc.org) की होर्डिंग साईट पर देखी जा सकती है।
2. नगर निगम जयपुर क्षेत्र में निर्मित पुलिस छतरियों एवं गुमटियों की जोन वाईज सीलबंद निविदा हेतु अमानत राशि निम्नानुसार होगी – सिविल लाईन जोन हेतु रु. 2 लाख, विद्याधर नगर जोन हेतु रु. 1.5 लाख, सागानेर जोन हेतु रु. 1 लाख, मानसरोवर जोन हेतु रु. 2 लाख, हवामहल पूर्व जोन हेतु रु. 2 लाख, मोती डूंगरी जोन हेतु रु. 5 लाख, आमेर जोन हेतु 75000 रु. एवं हवामहल पश्चिम जोन हेतु रु. 75000 अमानत राशि (डीडी/बैंकर चैक) के रूप में वित्तीय बिड के साथ संलग्न करनी होगी।
3. पुलिस छतरियों एवं गुमटियों की निविदा नगर निगम जयपुर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावेगी। सीलबंद निविदा के आधार पर शर्तों के अनुसार राशि जमा होने पर अनुज्ञापत्र जारी किया जायेगा।
4. प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमशः उच्चतम दर निविदादाता को छोड़कर शेष निविदादाता की अमानत राशि दर स्वीकृत होने पर लौटा दी जावेगी। सफल निविदादाता की 1/4 राशि जमा होने पर द्वितीय एवं तृतीय निविदादाता की जमा अमानत राशि लौटा दी जावेगी। सफल निविदादाता की 1/4 राशि जमा नहीं होने पर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
5. उच्चतम दर निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत राशि अगले कार्यदिवस को डी.डी./बैंकर्स चैक के द्वारा जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम निविदादाता को दर स्वीकृत होने पर पुलिस छतरियों एवं पुलिस गुमटियों पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। उच्चतम दर की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की देय टैक्स की राशि का बैंकर चैक/डीडी लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा कराना होगा, अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः निविदा की जावेगी। आगामी वर्ष के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व स्वीकृत लाईसेंस राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की देय टैक्स की राशि का बैंकर चैक/डीडी जमा कराना होगा, अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः निविदा की जावेगी। इस प्रकार अन्तिम वर्ष के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के देय टैक्स की राशि जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
6. पर्याप्त दर राशि प्राप्त नहीं होने अथवा अन्य कारणों से निविदा तिथि को आगे बढ़ाने का अथवा आगामी तिथि में जारी रखने का अधिकार नगर निगम जयपुर को होगा।
7. अनुज्ञापत्रधारी को शर्तों के अनुबंध पर लाईसेंस जारी होने के 15 दिवस के भीतर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
8. पुलिस छतरियों व गुमटियों पर किसी भी तरह के अश्लील, आपत्तिजनक एवं अवैध विज्ञापन यथा अवैध प्रिंटिंग/लिखावट/बैनर्स लगाना, पोस्टर्स, पम्पलेट्स, पतंग, आदि को लगते ही तुरन्त हटवाने/पुतवाने का दायित्व संवेदक का होगा अन्यथा नगर निगम जयपुर द्वारा उपरोक्त तरह के अवैध/अश्लील/आपत्तिजनक विज्ञापन हटवाने पर प्रति पुलिस छतरी/गुमटी 500 रु. कैरिंग चार्ज वसूल किया जायेगा जो नोटिस में उल्लेखित अवधि में जमा नहीं कराने पर अमानत राशि से कैरिंग चार्ज की कटौती की जावेगी।
9. ठेका समाप्ति पर पुलिस छतरियां एवं गुमटियां नगर निगम जयपुर की सम्पत्ति होगी उन पर किये गये सम्पूर्ण विज्ञापनों को साफ करवाकर/हटवाकर सही हालत में ठेका समाप्ति तिथि के अगले दिन जोन कार्यालयों को सम्भलवानी होगी अन्यथा प्रति गुमटी/छतरी रु. 500 विज्ञापन हटवाने/ साफ करवाने का हर्जा खर्चा संबधित जोन कार्यालय द्वारा वसूल किया जावेगा तथा निगम को विज्ञापन प्रदर्श हटवाने तक जितने दिन तक विज्ञापन प्रदर्श होगा उतने दिन की आनुपातिक राशि ठेकेदार द्वारा जमा करानी होगी। छतरियों एवं गुमटियों के चौरी हो जाने, टूट जोन, नष्ट होने पर छतरी/गुमटी संवेदक द्वारा बनाकर सुपुर्द करनी होगी।
10. नगर निगम द्वारा स्वीकृत पुलिस गुमटियों/छतरियों की संख्या में किसी कारण से कमी होती है तो अनुज्ञापत्रधारी यातायात पुलिस की सहमति से स्वयं के खर्चे पर स्वीकृत संख्या तक पुलिस गुमटी/छतरी स्थापित कर सकेगा।

11. यातायात पुलिस विभाग द्वारा अथवा नगर निगम जयपुर द्वारा अतिरिक्त पुलिस छतरियां/यातायात पुलिस गुमटियां लगवाने का पत्र प्राप्त होने पर अनुज्ञापत्रधारी को निर्धारित ड्राईंग अनुसार नई पुलिस छतरियां एवं नयी पुलिस गुमटियां बनवाकर स्थापित करनी होगी। जिसकी अनुपातिक राशि नगर निगम कोष में जमा करानी होगी जो कि ठेका राशि की अनुपातिक होगी व नगर निगम जयपुर द्वारा निर्धारित की जायेगी।
12. पुलिस छतरियों के संबंध में दो ऊपरी एवं दो निचली साईड पर निगम द्वारा दी गयी ड्राईंग के अनुसार विज्ञापन करने का अधिकार अनुज्ञापत्रधारी को होगा। शेष भाग यातायात विभाग से अनुमोदित श्लोगन सवेदको को लिखवाने होंगे, अर्थात् अनुज्ञापत्रधारी (सफल निविदादाता) द्वारा पुलिस छतरियों एवं गुमटियों पर 50 प्रतिशत हिस्से पर विज्ञापन एवं 50 प्रतिशत हिस्से पर ट्रेफिक पुलिस विभाग द्वारा जारी किये श्लोगन के लिए आरक्षित रखना होगा।
13. पुलिस छतरियों एवं पुलिस गुमटियों को स्थापित करने हेतु पानी, बिजली व अन्य सुविधाओं, वस्तुओं की व्यवस्था अनुज्ञापत्रधारी को स्वयं के खर्च पर करनी होगी। नगर निगम जयपुर द्वारा इसके लिए कोई खर्चा अनुज्ञापत्रधारी को नहीं दिया जायेगा। पुलिस छतरियों एवं पुलिस गुमटियों में बिजली कनेक्शन लेने एवं बिजली उपभोग के बिल का भुगतान अनुज्ञापत्रधारी को करना होगा।
14. पुलिस छतरी एवं गुमटी की स्थापना के समय किसी तरह की फुटपाथ, रोड़, भूमि, टाइल्स आदि के नुकसान के लिए सम्बन्धित अनुज्ञापत्रधारी जिम्मेदार होगा, नगर निगम जयपुर किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।
15. अनुज्ञापत्रधारी को पुलिस छतरियों एवं पुलिस गुमटियों पर क्रम संख्या एवं जोन का नाम लिखना अनिवार्य होगा एवं उपरोक्तानुसार सूची मुख्यालय एवं जोन में प्रस्तुत करनी होगी।
16. सरकारी योजना के कारण अथवा किसी अन्य कारण से पुलिस गुमटी/छतरी हटा दी गयी हो अथवा मौके पर नहीं हो/अन्यत्र शिफ्ट करनी पड़े तो अनुज्ञापत्रधारी को स्वयं यातायात पुलिस से तालमेल कर नये स्थान पर गुमटी/छतरी स्वयं के खर्च पर स्थापित कर सकेगा। इसकी सूचना निगम में देनी होगी तथा इस प्रकार सवेदक को होने वाली किसी भी आर्थिक हानि के लिए निगम जिम्मेदार नहीं होगा।
17. पुलिस छतरी/गुमटी गिरने से किसी व्यक्ति/संस्था/विभाग/किसी चल व अचल सम्पत्ति का नुकसान होने पर नुकसान की भरपायी का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी स्वयं का होगा, नगर निगम जयपुर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यदि कोई पुलिस कार्यवाही करनी हो अथवा कोई न्यायिक कार्यवाही करनी हो तो स्वयं के स्तर पर करनी होगी। यदि अनुज्ञापत्रधारी के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई मामला/वाद किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा दायर किया जाता है तो उसके संबंध में कार्यवाही का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का ही होगा, नगर निगम जयपुर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
18. अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/नगर निगम जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करने हेतु बाध्य होगा।
19. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
20. नीलामी की अंतिम बोली को नगर निगम जयपुर द्वारा स्वीकृति पश्चात राज्य सरकार के अनुमोदन पत्र प्राप्त होने पर ही सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/ठेकेदार को कार्यादेश जारी किया जा सकेगा। उसके बाद ही अनुज्ञापत्रधारी द्वारा पुलिस छतरियों एवं पुलिस गुमटियों पर विज्ञापन प्रदर्शित कर सकेगा।
21. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
22. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंस को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा, तथा पेनल्टी एवं ब्याज की राशि लाईसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगी।
23. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, आयुक्त (राजस्व) (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।
24. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार नगर निगम जयपुर को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन अनुज्ञापत्रधारी को मान्य होगा तथा अनुज्ञापत्रधारी को पालना करनी होगी।
25. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद होता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय होगा।
26. लाईसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

  
**लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं**  
**आयुक्त (राजस्व)**  
**नगर निगम जयपुर**

वर्ष 2014-2015 की पुलिस छतरियां की नीलामी सूची

**मोती डूंगरी जोन :- छतरियां**

- 1 ट्रान्सपोट नगर चौराहा जवाहर नगर बाईपास
- 2 गुरुद्वारा मोड गोविन्द मार्ग के कौने पर
- 3 घाटगेट
- 4 मिनर्वा
- 5 सांगानेरी गेट
- 6 सरावगी मैन्शन
- 7 न्यू गेट
- 8 अजमेरी गेट यादगार
- 9 अजमेरी गेट
- 10 जय क्लव अशोक मार्ग
- 11 गांधी नगर मोड
- 12 यूनिवर्सिटी मार्ग टोंक रोड
- 13 रामबाग सर्किल
- 14 आर.बी.आई. मोड
- 15 नारायणसिंह सर्किल
- 16 पृथ्वीराज मार्ग सी-स्कीम
- 17 एस.एम.एस. अस्पताल
- 18 सूचना केन्द्र
- 19 रामबाग होटल के गेट के सामने
- 20 राजापार्क कोसिंग
- 21 राजस्थान विश्वविद्यालय
- 22 इन्कम टैक्स कॉलोनी
- 23 एम.एन.आई.टी. जवाहर लाल नेहरू मार्ग
- 24 दैनिक भास्कर
- 25 बजाज नगर
- 26 गणेश मंदिर
- 27 मेडिकल कॉलेज
- 28 मेडिकल बॉयज हॉस्टल
- 29 बालाजी मोड जगतपुरा मालवीय नगर
- 30 राजस्थान पत्रिका
- 31 ज्योति नगर पुलिस स्टेशन
- 32 अशोक मार्ग मोड
- 33 लक्ष्मी मंदिर त्रिराहा
- 34 बी.एस. रोड ज्योति नगर मोड
- 35 न्यू विधानसभा जनपथ
- 36 ईमली फाटक
- 37 एच.पी.सी.एल. त्रिराहा

**मोतीडूंगरी जोन :- नई पुलिस छतरियां बनाने हेतु प्रस्तावित स्थानों की सूची :-**

1. एमआईरोड मानप्रकाश, (जीटीसी के सामने)।
2. एमआईरोड, सरावगी मैन्शन।
3. जे.एल.एन. मार्ग, आरोग्य पथ।
4. जे.एल.एन. मार्ग, मेडिकल कॉलेज के सामने।
5. जे.एल.एन. मार्ग, जे.के. लोन के सामने।
6. टोंक रोड, डिस्पेंसरी मोड (न्यू पी.एच.क्यू मोड)।



वर्ष 2014-2015 की पुलिस गुमटियां की नीलामी सूची

मोती झुंगरी जोन :- गुमटियां

- 1 घाटगेट
- 2 सांगानेरी गेट
- 3 पांच बत्ती
- 4 भिनर्वा सिनेगा
- 5 न्यू गेट
- 6 अजमेरी गेट
- 7 अशोक मार्ग बी.डी. रोड
- 8 अम्बेडकर सर्किल भावनी सिंह रोड
- 9 स्टेन्यू सर्किल पुथ्वीराज रोड
- 10 तिलक मार्ग मोड
- 11 लक्ष्मी मंदिर मोड
- 12 गांधी नगर मोड
- 13 बजाज नगर मोड
- 14 यूनिवर्सिटी मार्ग
- 15 रामबाग सर्किल
- 16 दैनिक भास्कर मोड
- 17 बिरला मंदिर
- 18 OAS सर्किल
- 19 तख्तेशाही रोड
- 20 त्रिमुर्ति सर्किल
- 21 धर्मसिंह सर्किल
- 22 जवाहर नगर बस स्टेण्ड
- 23 ट्रान्सपोर्ट नगर चौराहा टर्नल
- 24 गुरुद्वारा मोड गोविन्द मार्ग
- 25 टनल के बाहर पुराना बाईपास
- 26 घाट की गुणी मच्छी दरवाजा
- 27 राजपार्क चारौहा
- 28 जयक्लव चौराहा

मोतीझुंगरी जोन :- नई पुलिस गुमटियां बनाने हेतु प्रस्तावित स्थानों की सूची :-

1. एमआई रोड यादगार तिराहा ।
2. एमआई रोड मानप्रकाश तिराहा ।
3. एमआई रोड सरावगी मैन्शन ।
4. एमआई रोड, भिनर्वा सर्किल ।
5. जवाहर नगर बाईपास, टर्नल स्लिप लाईन ।
6. जवाहर नगर बाईपास, सेठी पेट्रोल पम्प, टर्नल के बाहर ।
7. गोविन्द मार्ग, बर्फखाना चौराहा ।
8. गोविन्द मार्ग, परनामी मन्दिर ।
9. जे.एल.एन. मार्ग, यूनिवर्सिटी गेट के पास ।
10. जे.एल.एन. मार्ग, गांधी सर्किल ।
11. गांधीनगर रोड, जजों का चौराहा ।
12. टोंक रोड, एस.एम.एस के सामने ।
13. टोंक रोड, डिस्पेंसरी मोड (न्यु पी.एच.क्यू मोड) ।



## वर्ष 2014-2015 की पुलिस छतरियां की नीलामी सूची

सांगानेर जोन :- छतरियां

- 1 टोक रोड इण्डिया गेट के सामने
- 2 कुम्भा मार्ग का चौराहा
- 3 सांगानेर फ्लाई आवेरे के नीचे
- 4 एयरपोर्ट न्यू टर्मिनल
- 5 जवाहर सर्किल
- 6 एयरपोर्ट न्यू टर्मिनल
- 7 ई.पी. मोड

सांगानेर जोन :- नई पुलिस छतरियां बनाने हेतु प्रस्तावित स्थानों की सूची :-

1. आगरा रोड़, गोनेर तिराहा।
2. जवाहर सर्किल के सामने।
3. जवाहर सर्किल, जगतपुरा कट।
4. जवाहर सर्किल के पीछे।
5. जवाहर सर्किल, ई.पी. कट।
6. सिद्धार्थ नगर चौराहा, टर्मिनल-3 रोड़।
7. आश्रम मार्ग।
8. सांगानेर चौरडिया पेट्रोल पम्प।
9. सांगानेर, मालपुरा गेट।

## वर्ष 2014-2015 की पुलिस गुमटियां की नीलामी सूची

सांगानेर जोन :- गुमटियां

- 1 सांगानेर फ्लाई ऑवर के नीचे
- 2 टर्मिनल -2 के चौराहे पर
- 3 स्टेट हैंगर गेट के चौराहे पर
- 4 गोवर टावर के सामने
- 5 वर्ल्ड ट्रेड पार्क के कोने पर
- 6 जवाहर सर्किल मैन रोड पर

सांगानेर जोन :- नई गुमटियां बनाने हेतु प्रस्तावित स्थानों की सूची :-

1. आगरा रोड़, गोनेर तिराहा।
2. जे.एल.एन. मार्ग, गौरव टॉवर।
3. जे.एल.एन. मार्ग, एस.एल. कट, (इनकम टैक्स कॉलोनी रोड़)।
4. जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल।
5. मालवीय नगर, सिद्धार्थ नगर चौराहा।
6. टर्मिनल टू गेट।
7. टोंक रोड़, गौशाला।
8. टोंक रोड़, हल्दीघाटी गेट।
9. टोंक रोड़, कुम्भा मार्ग।
10. टोंक रोड़, इण्डिया गेट।
11. सांगानेर, चौरडिया पेट्रोल पम्प के पास।
12. सांगानेर, मालपुरा गेट।
13. सांगानेर, रायल्टी चौराहा।

वर्ष 2014-2015 की पुलिस छतरियां की नीलामी सूची

मानसरोवर जोन :- पुलिस छतरियां

1. होटल बेला खासा के सामने
2. त्रिवेणी नगर चौराहे पर
3. रिद्धि-सिद्धि चौराहा,
4. शिप्रापथ बी-2 बाईपास
5. शिप्रापथ बी-2 बाईपास से न्यू सांगानेर रोड के मध्य
6. शिप्रापथ कपिल ज्ञानपीठ पब्लिक स्कूल के तिराहें पर
7. गोपालपुरा टोक रोड पुलिया के नीचे
8. मुक्तानन्द नगर चौराहा गोपालपुरा बाईपास
9. जयपुर अस्पताल के पास टोक रोड सांघी मोटर्स
10. गौशाला के सामने लाल बहादुर नगर मोड
11. बाबूल पेरेडाईज के सामने चौराह पर
12. फस्ट सिनेमा
13. गुर्जर की थडी

मानसरोवर जोन :- नई पुलिस छतरियां बनाने हेतु प्रस्तावित स्थानों की सूची :-

1. टोक रोड, खण्डाका हॉस्पिटल कट।
2. टोक रोड, कमल एण्ड कम्पनी कट।

वर्ष 2014-2015 की पुलिस गुमटियां की नीलामी सूची

मानसरोवर जोन :- पुलिस गुमटियां

- 1 बी-2 बाईपास डेयरी के पास
- 2 रिद्धि सिद्धि चौराहा
- 3 गोपालपुरा टोक रोड पुलिया के नीचे
- 4 जयपुर अस्पताल टोक रोड सांघी मोटर्स
- 5 न्यू सांगानेर तिराहे पर मंदिर के पास
- 6 गुर्जर की थडी चौराहा
- 7 त्रिवेणी नगर कासिंग

मानसरोवर जोन :- नई पुलिस गुमटियां बनाने हेतु प्रस्तावित स्थानों की सूची :-

1. टोक रोड, दुर्गापुरा।
2. टोक रोड, कमल एण्ड कम्पनी।
3. टोक रोड, किसान मार्ग।
4. बी.टू. बाईपास, एसएफएस चौराहा।
5. बी.टू. बाईपास, प्रधान वाटिका।
6. न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर अरावली मार्ग।
7. न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर विजय पथ।
8. न्यू सांगानेर रोड, भृगुपथ।
9. न्यू सांगानेर रोड, किसान धर्मकांटा।
10. मानसरोवर, गंगा जमुना पेट्रोल पंप।

वर्ष 2014-2015 की पुलिस छतरियां की नीलामी सूची

विधाघर नगर जोन :- पुलिस छतरियां

- 1 पीतल फैक्ट्री
- 2 पानीपेच आर.पी.ए. तिराहा
- 3 पानीपेच तिराहा
- 4 दूध मण्डी
- 5 पंखा काटा झोटवाडा
- 6 वन एन मून सीकर रोड
- 7 टाईटन माल के सामने
- 8 अम्बाबाडी चौराहा
- 9 पारीक कॉलेज
- 10 पावर हाउस
- 11 गणपति टावर तिराहा

वर्ष 2014-2015 की पुलिस गुमटियां की नीलामी सूची

विधाघर नगर जोन :- पुलिस गुमटियां

- 1 पुलिस लाईन जनाना अस्पताल के पास
- 2 संजय सर्किल
- 3 पीतल फैक्ट्री
- 4 रेलवे स्टेशन
- 5 चौमू पुलिया
- 6 सिधी केम्प बस स्टेण्ड -उत्तरी गेट के पास
- 7 सिधी केम्प बस स्टेण्ड -दक्षिणी गेट के पास
- 8 कलेक्ट्रेड
- 9 लता सिनेमा सर्किल
- 10 खिरनी फाटक
- 11 खासाकोठी सर्किल
- 12 पानीपेच सर्किल
- 13 चिंकारा टीपोइन्ट
- 14 पावर हाउस
- 15 आर.पी.ए. रोड
- 16 अम्बाबाडी

नई पुलिस गुमटियां बनाने हेतु प्रस्तावित स्थानों की सूची :-  
विधाघर नगर जोन :-

1. 200 फीट बाईपास, निवारू रोड पुलिया।





वर्ष 2014-2015 की पुलिस छतरियां की नीलामी सूची

सिविल लाईन जोन :- पुलिस छतरियां

1. सरोजनी मार्ग सी-स्कीम
2. सरदार पटेल मार्ग चौराहा
3. अजमेर पुलिया के नीचे सिविल लाईन
4. नन्दपुरी चौराहा बाईस गोदाम
5. वैशाली नगर चौराहा अजमेर रोड
6. ववीन्स रोड, मिलिट्री एरिया के सामने
7. गांधी पथ चौराहा क्वीन्स रोड
8. भरत अपार्टमेन्ट चौराहा वैशाली नगर
9. चित्रकुट चौराहा वैशाली नगर
10. गणपति प्लाजा के सामने
11. गवर्नमेन्ट हॉस्टल चौराहा
12. सुभाष मार्ग
13. चितरंजन मार्ग सी स्कीम
14. सरदार पटेल मार्क रिलायन्स कार्यालय
15. तिलक मार्ग चौराहा
16. कठपुतली नगर के पास
17. विशाल गारमेन्ट
18. पुराना बाईपास 200 फुट
19. किंग्स रोड कार्नर

नई छतरियां बनाने हेतु प्रस्तावित स्थानों की सूची :-

1. सरदार पटेल मार्ग, धूलेश्वर गार्डन।


वर्ष 2014-2015 की पुलिस गुमटियां की नीलामी सूची

सिविल लाईन जोन :- पुलिस गुमटियां :-

1. स्टेच्यू सर्किल के पास सी-स्कीम
2. बाईस गोदाम सर्किल सिविल लाईन
3. न्यू सांगानेर चौराहा, सोडाला
4. आम्रपाली सर्किल वैशाली नगर
5. गणपति प्लाजा के पास
6. अहिंसा सर्किल सी-स्कीम
7. सुभाष मार्ग सी-स्कीम
8. सरदार पटेल मार्ग रिलायन्स
9. सिविल लाईन कासिंग
10. अजमेर रोड, 200 फुट बाईपास
11. पुराना चुंगीनाका
12. गोरमेन्ट प्रेस सर्किल
13. चौमुं हाउस सर्किल
14. खातीपुरा तिराहा।
15. सिरसी रोड, 200 फीट बाईपास ओवरब्रिज।

नई गुमटियां बनाने हेतु प्रस्तावित स्थानों की सूची :-

1. सरदार पटेल मार्ग, धूलेश्वर गार्डन।
2. अजमेर रोड, शालीमार चौराहा।



वर्ष 2014-2015 की छतरियां की नीलामी सूची

हवामहल जोन (पूर्व) :- छतरियां

- 1 घाटगेट चौराहा फायर स्टेशन के पास
- 2 गलता गेट मोहन बाडी के पास
- 3 लिंक रोड बापू बाजार का कोना
- 4 सांगानेरी गेट पर
- 5 सांगानेरी गेट व मिनर्वा सिनेमा के पास


वर्ष 2014-2015 की पुलिस गुमटियां की नीलामी सूची

हवामहल जोन (पूर्व) :- गुमटियां

- 1 घाटगेट चौराहा फायर स्टेशन
- 2 गलतागेट मोहन बाडी के पास
- 3 रामंगज चौपड थाने के पास
- 4 शहीद अमित भारद्वाज माणक चौक स्कूल
- 5 बडी चौपड के पास माणक चौक
- 6 फूलवोल खंदे में बडी चौपड
- 7 सांगानेरी गेट

हवामहल (पूर्व) जोन :- नई पुलिस गुमटियां बनाने हेतु प्रस्तावित स्थानों की सूची :-

1. आगरा रोड़, घाट की गूणी।
2. आमेर रोड़, सुभाष चौक।
3. चांदी की टकसाल।
4. हीदा की मोरी।
5. खोले के हनुमान जी के मंदिर के गेट के पास।



वर्ष 2014-2015 की पुलिस छतरियां की नीलामी सूची

हवामहल जोन (पश्चिम) :- छतरियां

1. पुरोहित जी का कटला हवामहल गेट के मध्य
2. मैन त्रिपोलिया गेट के सामने
3. बाबा हरिशचन्द मार्ग व नाहरगढ रोड के मध्य
4. खजाने वाला का रास्ता व जयलाल मुंशी का रास्ता के मध्य
5. चान्दपोल बाजार बगरुवालों का रास्ता
6. न्यूगेट गोलछा सिनेमा के पास

वर्ष 2014-2015 की पुलिस गुमटियां की नीलामी सूची

हवामहल जोन (पश्चिम) :- गुमटियां

- 1 गोलछा सिनेमा, चोडा रास्ता
- 2 कल्याण जी का रास्ता बगरुवालो के रास्ते के मध्य
- 3 छोटी चौपड
- 4 चान्दपोल से सूरजपोल बडी चौपड

हवामहल (पश्चिम) जोन :- नई पुलिस गुमटियां बनाने हेतु प्रस्तावित स्थानों की सूची :-

1. जलैबी चौक, गोविन्द देवजी मंदिर के पास।
2. चांदपोल बाजार, खजाने वालों का रास्ता।
3. चांदपोल बाजार, नाहरगढ रोड़ चौराहा।
4. गणगौरी बाजार, चौगान स्टेडियम चौराहा।
5. आमेर रोड़, जोरावर सिंह गेट के बाहर।
6. त्रिपोलिया मेन गेट।
7. अजमेरी गेट के अन्दर।



वर्ष 2014-2015 की पुलिस छतरियां की नीलामी सूची

आमेर जोन :- छतरियां

- 1 रामगढ मोड चौराहे पर

वर्ष 2014-2015 की पुलिस गुमटियां की नीलामी सूची

आमेर जोन :- गुमटियां

- 1 आमेर मावठा चौक
- 2 जलमहल आमेर रोड
- 3 पुराना चुंगीनाका दिल्ली बाईपास
- 4 मानबाग दिल्ली रोड हनुमान मंदिर
- 5 जयपुर गोल्डन के पास दिल्ली रोड
- 6 रामगढ मोड

आमेर जोन :- नई पुलिस गुमटियां बनाने हेतु प्रस्तावित स्थानों की सूची :-

1. आमेर तिराहा ।
2. आमेर रोड़, ग्रामीण पुलिस लाईन के सामने ।

